

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 333] नई दिल्ली, बुधवार नवम्बर 10, 1982/कार्तिक 19, 1904
No 333] NEW DELHI, WEDNESDAY NOV, 10, 1982 KARTIKA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

मौख्य और परिवहन मंत्रालय
(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1982

सां० का० नि० 680 (अ) —महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38)
की धारा 13 के साथ पंक्ति धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए केन्द्रीय सरकार, म्यू मंगलौर पत्तन के न्यासी मञ्च में काँफी बोर्ड के प्रतिनिधित्व करने के
लिए अध्यक्ष, काँफी बोर्ड के स्थान पर चुनकर काँफी विपणन अधिकारी, काँफी बोर्ड, को न्यासी
के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार, मौख्य और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष)

की प्रविष्टि सं० सा० का० नि० 248 (प्र०) दिनांक 31-3-1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त प्रविष्टि में क्रम संख्या 7 में प्रविष्टि “प्रयत्न, कॉफी बोर्ड” के स्थान पर “मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी, कॉफी बोर्ड” की प्रविष्टि की जाय।

[काह्न सं० पी० डब्ल्यू०/पी० टी० बी०-31/82]

पी० बी० देवशङ्कर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 1982

G.S.R. 680(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3, read with section 13, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Chief Coffee Marketing Officer, Coffee Board, as a trustee to represent the Coffee Board Vice Chairman, Coffee Board, on the Board of Trustees of the Port of New Mangalore and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 248(E), dated the 31st March, 1981, namely:—

In the said notification, against Serial Number 7, for the entry “Chairman, Coffee Board”, the entry “Chief Coffee Marketing Officer, Coffee Board” shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-31/82]

P. V. VENKATAKRISHNAN, Jt. Secy.